Maale Viraasat Mein Khiyaanat Na Kijiye (Hindi)

माले विरासत में ख़ियानत न कीजिये

DAWAT-E-ISLAMI

पेशकश : मज्लिसे इफ़्ता (दा'वते इस्लामी)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैखे़ त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ़ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़-ज़मत और बुज़ुर्गी वाले । (اَلْمُسْتَطْرَف ج ١ ص ٤٠ دارالفكر بيروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

माले विरासत में ख़ियानत न कीजिये

येह रिसाला **(माले विरासत में ख़ियानत न कीजिये)** **मुफ़्ती फ़ुज़ैल रज़ा क़ादिरी अ़त्तारी** مَدَّظِلُّهُ الْعَالِی ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाया है, जिसे मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने पेश किया है ।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये ।

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)
मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की
मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात
MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

रह़मते आ़लम, रसूले मुह़्तशम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमाने रह़मत निशान है : क़ियामत के रोज़ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के अ़र्श के सिवा कोई साया नहीं होगा, तीन शख़्स **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के अ़र्श के साए में होंगे। अ़र्ज़ की गई : **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! वोह कौन लोग होंगे ? इर्शाद फ़रमाया : **(1)** वोह शख़्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे **(2)** मेरी सुन्नत को ज़िन्दा करने वाला **(3)** मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ़ पढ़ने वाला।[1]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

माले विरासत में ख़ियानत न कीजिये

किसी शख़्स के इन्तिक़ाल के बा'द उस का छोड़ा हुवा माल "मीरास" कहलाता है और इसे मुन्तख़ब उसूल व क़वानीन के मुत़ाबिक़ मय्यित के रिश्तेदारों में तक़्सीम किया जाता है। मीरास की तक़्सीम में दुन्या की मुख़्तलिफ़ क़ौमों में मुख़्तलिफ़ त़रीक़े राइज रहे हैं, जैसे जाहिलिय्यते अ़रब के लोग औ़रतों और बच्चों को मीरास के माल से मह़रूम रखते थे, उन में जो ज़ियादा त़ाक़त वर और बा असर होता, वोह किसी तअम्मुल के बिग़ैर सारी मीरास समेट लेता और कमज़ोरों का ह़िस्सा छीन लेता जब कि बर्रे सग़ीर की क़ौमें और दीगर अ़लाक़ों के लोग औ़रतों को ह़िस्सा बिल्कुल न देते थे। येह सब त़रीक़े ए'तिदाल से दूर और अ़दलो इन्साफ़ के तक़ाज़ों के ख़िलाफ़ थे।

1 ......البدور السافرة للسيوطى، ص ١٣١، الحديث: ٣٦٦.

www.dawateislami.net

तक़्सीमे मीरास और दीने इस्लाम का ए'ज़ाज़

दीने इस्लाम का येह ए'ज़ाज़ है कि इस ने जहां दीगर मुआ़-मलात में इफ़्रातो तफ़्रीत़ को ख़त्म किया वहीं "तक़्सीमे मीरास" के मुआ़-मले में बेहतरीन त़रीक़ा अ़त़ा फ़रमाया, मह़रूमों को ह़क़ दिया और जाबिरों को उन की ह़ुदूद में रखा और हर एक को उस के मुनासिब ह़िस्सा अ़त़ा फ़रमा दिया जैसे बत़ौरे ख़ास औ़रतों और यतीम बच्चों के ह़वाले से ख़ुसूसी अह़कामात दिये, औ़रतों और बच्चों को विरासत से ह़िस्सा न देने की रस्म को बात़िल करते हुए क़ुरआने मजीद ने मर्द व औ़रत में से हर एक को उस के वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों के माले विरासत में ह़िस्सेदार क़रार दिया है और ख़ास त़ौर पर यतीम बच्चों के माल की ह़िफ़ाज़त करने, ब वक़्ते ज़रूरत इन्हें इन का माल दे देने और इन के माल में हर क़िस्म की ख़ियानत से बचने का निहायत ताकीदी ह़ुक्म दिया और इन का माल खाने को अपने पेट में आग भरना क़रार देते हुए जहन्नम में जाने का सबब क़रार दिया है जब कि यतीम के सर-परस्तों को तम्बीह व नसीह़त करते हुए इर्शाद फ़रमाया कि ऐसे लोगों को येह सोचना चाहिये कि अगर येह इन्तिक़ाल कर जाते और अपने पीछे कमज़ोर औलाद छोड़ जाते तो उन का क्या होता तो जिस त़रह़ अपनी औलाद के बारे में फ़िक्र मन्द होते इसी त़रह़ दूसरों की यतीम औलाद के बारे में फ़िक्र मन्द हों और उन के माल के बारे में **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ से ख़ौफ़ करते हुए अह़कामे दीन पर अ़मल करें।

www.dawateislami.net

तक़्सीमे मीरास और फ़ी ज़माना मुसल्मानों का ह़ाल

ख़ौफ़े ख़ुदा और फ़िक्रे आख़िरत रखने वाले मुसल्मान के लिये ऊपर बयान कर्दा अह़कामे क़ुरआनिया ही नसीह़त के लिये काफ़ी हैं लेकिन निहायत अफ़्सोस है कि मुसल्मानों में कसरत से दीगर माली मुआ़-मलात की त़रह़ विरासत की तक़्सीम के हुक्मे क़ुरआनी में भी बड़ी कोताहियां वाक़ेअ़ हो रही हैं, गोया मीरास की तक़्सीम में जो ज़ुल्म और इफ़्रात़ो तफ़्रीत़ दीने इस्लाम से पहले दुन्या में पाया जाता था वोही आज मुख़्तलिफ़ सूरतों में मुसल्मानों के अन्दर भी पाया जा रहा है, जैसे ला इ़ल्मी की बिना पर आ़क़ शुदा औलाद या बेटियों को विरासत नहीं दी जाती, यूंही बहुत जगह उन बेवा औ़रतों को शोहर की विरासत से मह़रूम कर दिया जाता है जो दूसरी शादी कर लें, जब कि बहुत सी जगहों पर बत़ौरे ज़ुल्म यतीम बच्चों का माले विरासत चचा, ताया वग़ैरा के ज़ुल्मो सितम का शिकार हो जाता है।

इस संगीन सूरते ह़ाल के पेशे नज़र **अल्लाह** तआ़ला और उस के प्यारे ह़बीब صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के विरासत के मु-तअ़ल्लिक़ दिये हुए अह़कामात पर अ़मल की त़रफ़ राग़िब करने और इन अह़काम की ख़िलाफ़ वरज़ी करने पर अ़ज़ाबे इलाही से डराने के लिये येह अहम रिसाला मुरत्तब किया गया है। **अल्लाह** तआ़ला इस मुख़्तसर रिसाले को मुसल्मानों के लिये नफ़्अ़ बख़्श बनाए और इस का मुत़ा-लआ़ कर के इन्हें अपनी इस्लाह़ की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाए, आमीन।

www.dawateislami.net

दीने इस्लाम और अह़कामे मीरास

मीरास की तक़्सीम चूंकि एक अहम मुआ़-मला है और इस में ज़ुल्मो सितम, ह़क़ त-लफ़ी, माली बद दियानती और आपस में लड़ाई फ़साद का बहुत अन्देशा है, इस लिये **अल्लाह** तआ़ला ने "मीरास" के अक्सर अह़काम क़ुरआने पाक में बड़ी वज़ाह़त से बयान फ़रमाए हैं और इन पर अ़मल करने को मु-तअ़द्दद अन्दाज़ में ताकीद के साथ बयान फ़रमाया जैसे शुरूअ़ में इर्शाद फ़रमाया कि **अल्लाह** तुम्हें हुक्म देता है और येह हुक्म बयान कर के मीरास की तक़्सीम का त़रीक़ा बयान फ़रमाया,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ (1)

तर-ज-मए कन्ज़ुल इरफ़ान : अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, बेटे का ह़िस्सा, दो बेटियों के बराबर है फिर अगर सिर्फ़ लड़कियां हों अगर्चे दो से ऊपर तो उन के लिये तर्के का दो तिहाई ह़िस्सा होगा और अगर एक लड़की हो तो उस के लिये आधा ह़िस्सा है और अगर मय्यित की औलाद हो तो मय्यित के मां बाप में से हर एक के लिये तर्के से छटा ह़िस्सा होगा फिर अगर मय्यित की औलाद न हो और मां बाप छोड़े तो मां के लिये तिहाई ह़िस्सा है फिर अगर उस (मय्यित) के कई बहन भाई हों तो मां का छटा ह़िस्सा होगा, (येह सब अह़काम)

1 ......النساء: ١١.

www.dawateislami.net

उस वसिय्यत (को पूरा करने) के बा'द (होंगे) जो वोह (फ़ौत होने वाला) कर गया और क़र्ज़ (की अदाएगी)के बा'द (होंगे) ।

और इर्शाद फ़रमाता है :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ
وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ
أَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ
وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ
بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ؕ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَاَةٌ
وَّلَهٗٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ
فَإِنْ كَانُوْٓا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ

तर-ज-मए कन्ज़ुल इरफ़ान : और तुम्हारी बीवियां जो (माल) छोड़ जाएं अगर उन की औलाद न हो तो उस में से तुम्हारे लिये आधा हिस्सा है, फिर अगर उन की औलाद हो तो उन के तर्के में से तुम्हारे लिये चौथाई हिस्सा है। (येह हिस्से) उस वसिय्यत के बा'द (होंगे) जो उन्हों ने की हो और क़र्ज़ (की अदाएगी) के बा'द (होंगे) और अगर तुम्हारे औलाद न हो तो तुम्हारे तर्के में से औरतों के लिये चौथाई हिस्सा है, फिर अगर तुम्हारे औलाद हो तो उन का तुम्हारे तर्के में से आठवां हिस्सा है (येह हिस्से) उस वसिय्यत के बा'द (होंगे) जो वसिय्यत तुम कर जाओ और क़र्ज़ (की अदाएगी) के बा'द (होंगे) । और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तर्का तक़्सीम किया जाना हो जिस ने मां बाप और औलाद (में से) कोई न छोड़ा और (सिर्फ़) मां की

www.dawateislami.net

فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ (1)

तरफ़ से उस का एक भाई या एक बहन हो तो उन में से हर एक के लिये छटा हिस्सा होगा फिर अगर वोह (मां की तरफ़ वाले) बहन भाई एक से ज़ियादा हों तो सब तिहाई में शरीक होंगे (येह दोनों सूरतें भी) मय्यित की उस वसिय्यत और क़र्ज़ (की अदाएगी) के बा'द होंगी जिस (वसिय्यत) में उस ने (वु-रसा को) नुक़्सान न पहुंचाया हो। येह **अल्लाह** की तरफ़ से हुक्म है और **अल्लाह** बड़े इल्म वाला, बड़े हिल्म वाला है।

मीरास में जो हिस्से मुक़र्रर किये गए, उन की मिक़्दार की मुकम्मल हिक्मत और मस्लहत **अल्लाह** तआला ही बेहतर जानता है, हमारी अक़्लो शुऊर को इस की गहराई तक रसाई हासिल नहीं है। इसी लिये **अल्लाह** तआला ने हिस्से बयान करने के बा'द वाज़ेह तौर पर इर्शाद फ़रमा दिया कि

اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (2)

तर-ज-मए कन्ज़ुल इरफ़ान : तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम्हें मा'लूम नहीं कि इन में कौन तुम्हें ज़ियादा नफ़्अ देगा, (येह) **अल्लाह** की तरफ़ से मुक़र्रर कर्दा हिस्सा है। बेशक **अल्लाह** बड़े इल्म वाला, हिक्मत वाला है।

---

1 ......النساء: ١٢. 2 ......النساء: ١١.

www.dawateislami.net

अल्लाह तआ़ला मजी़द इर्शाद फ़रमाता है :

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ یُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ یُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۝۱۳ وَ مَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ یَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیْهَا ۪ وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِیْنٌ (1)

तर-ज-मए कन्ज़ुल इरफ़ान : येह **अल्लाह** की ह़दें हैं और जो **अल्लाह** और **अल्लाह** के रसूल की इत़ाअ़त करे तो **अल्लाह** उसे जन्नतों में दाख़िल फ़रमाएगा जिन के नीचे नहरें बह रही हैं। हमेशा उन में रहेंगे, और येही बड़ी काम्याबी है। और जो **अल्लाह** और उस के रसूल की ना फ़रमानी करे और उस की (तमाम) ह़दों से गुज़र जाए तो **अल्लाह** उसे आग में दाख़िल करेगा जिस में (वोह) हमेशा रहेगा और उस के लिये रुस्वा कुन अ़ज़ाब है।

तक़्सीमे मीरास की अहम्मिय्यत

विरासत में हर वारिस को उस का ह़क़ देना कितना ज़रूरी है इस का अन्दाज़ा इस रुकूअ़ में बयान कर्दा चीज़ों से लगाएं :

(1)...... शुरूअ़ में फ़रमाया कि **अल्लाह** तआ़ला तुम्हें विरासत तक़्सीम करने का हुक्म देता है।

(2)...... रुकूअ़ के आख़िर में फ़रमाया कि विरासत के अह़काम **अल्लाह** तआ़ला की मुक़र्रर कर्दा ह़दें हैं जिन्हें तोड़ने की इजाज़त नहीं।

1......النساء:١٣-١٤.

www.dawateislami.net

(3)...... जो विरासत को कमा हक़्क़ुहू तक़्सीम कर के इत़ाअ़ते इलाही करेगा और हुदूदे इलाही की पासदारी करेगा वोह हमेशा हमेशा के लिये जन्नत के बाग़ों में दाख़िल होगा।

(4)...... जो विरासत में दूसरे का ह़क़ मारेगा और हुदूदे इलाही को तोड़ेगा वोह **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ और रसूल صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का ना फ़रमान है।

(5)...... ऐसा शख़्स जहन्नम की भड़क्ती आग में दाख़िल होगा।

(6)...... और जो शख़्स विरासत के इन अह़काम को मानता ही नहीं और इस वज्ह से अ़मल भी नहीं करता वोह तो हमेशा के लिये जहन्नम में जाएगा और उस के लिये रुस्वा कुन अ़ज़ाब है।

मीरास से मु-तअ़ल्लिक़ बुज़ुर्गाने दीन की एह़तियातें

ऐ काश कि मज़्कूरा बाला वईदों को पढ़ कर हर मुसल्मान **अल्लाह** तआ़ला और उस के रसूल صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के दिये हुए अह़कामात के मुत़ाबिक़ ही मीरास को तक़्सीम करे और इन की ख़िलाफ़ वरज़ी करने की सूरत में **अल्लाह** तआ़ला की सख़्त गिरिफ़्त और जहन्नम की भड़क्ती हुई आग के रुस्वा कुन अ़ज़ाब में मुब्तला होने से डरे। तक़्सीमे मीरास की इसी अहम्मिय्यत के पेशे नज़र हमारे बुज़ुर्गाने दीन رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن इस मुआ़-मले में किस क़दर एह़तियात फ़रमाते थे यहां उस की कुछ झलक मुला-ह़ज़ा हो।

माले विरासत का चराग़ बुझा दिया

मरवी है कि एक बुज़ुर्ग رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه किसी क़रीबुल मर्ग

www.dawateislami.net

शख़्स के पास मौजूद थे रात में जिस वक़्त वोह फ़ौत हुवा तो उन्हों ने फ़रमाया कि चराग़ बुझा दो कि अब इस के तेल में वु-रसा का ह़क़ शामिल हो गया है ।(1)

माले विरासत की चटाई इस्ति'माल करने से मन्अ़ कर दिया

ह़ज़रते अ़ब्दुर्रह़मान बिन महदी رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْه फ़रमाते हैं कि जब मेरे चचा का इन्तिक़ाल हुवा तो मेरे वालिद बेहोश हो गए, होश आने पर फ़रमाया कि चटाई को वु-रसा के तर्के में दाख़िल कर दो (और इसे अब इस्ति'माल न करो क्यूं कि इस में वु-रसा का ह़क़ शामिल हो गया है) ।

माले विरासत की चटाई इस्ति'माल करने वाले को तम्बीह

ह़ज़रते इब्ने अबी ख़ालिद رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْه फ़रमाते हैं : मैं ह़ज़रते अबुल अ़ब्बास ख़त्ताब رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْه के साथ था, आप एक ऐसे शख़्स की ता'ज़ियत के लिये ह़ाज़िर हुए कि जिस की बीवी का इन्तिक़ाल हो गया था, आप ने घर में एक चटाई बिछी हुई देखी तो घर के दरवाज़े पर ही खड़े हो गए और उस शख़्स से फ़रमाया : क्या तेरे इलावा भी कोई वारिस है ? उस ने जवाब दिया : जी हां ! आप رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْه ने फ़रमाया : तेरा उस चीज़ पर बैठना कैसा है जिस का तू मालिक नहीं । तो वोह शख़्स (इस तम्बीह के बा'द) उस चटाई से उठ गया ।(2)

---

(1)......احیاء علوم الدین، کتاب الحلال والحرام، الباب الاول، امثلة الدرجات الاربع فی الورع وشواھدھا، ۱۲۲/۲.

(2)......اتحاف السادة المتقین، کتاب الحلال والحرام، الباب الاول، امثلة الدرجات الاربع فی الورع وشواھدھا، ۴۸۸/۶.

www.dawateislami.net

मैं ने अपनी औलाद को दूसरों का ह़क़ नहीं दिया

येह तो किसी के इन्तिक़ाल के बा'द उस के माल से मु-तअ़ल्लिक़ बुज़ुर्गाने दीन رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن का ह़ाल था जब कि अपने माल और उस के होने वाले वु-रसा के ह़वाले से बुज़ुर्गाने दीन رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن किस क़दर मोह़तात़ थे, इस की झलक भी मुला-ह़ज़ा हो :

चुनान्चे मरवी है कि ह़ज़रते उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه के विसाल के वक़्त मस्लमा बिन अ़ब्दुल मलिक उन के पास ह़ाज़िर हुए और अ़र्ज़ की : ऐ अमीरुल मुअमिनीन ! आप ने ऐसा काम किया है जो आप से पहले किसी ने नहीं किया, वोह येह कि आप ने औलाद तो छोड़ी है लेकिन उन के लिये माल नहीं छोड़ा (क्यूं कि आप رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه के पास माल था ही नहीं बल्कि वोह तंगदस्ती की ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे) । ह़ज़रते उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه ने फ़रमाया : मुझे बिठा दो । चुनान्चे आप को बिठा दिया गया, फिर आप ने फ़रमाया : तुम ने जो येह कहा कि मैं ने अपनी औलाद के लिये माल नहीं छोड़ा, इस का येह मत़लब नहीं कि मैं ने उन का ह़क़ मार दिया है बल्कि अस्ल बात येह है कि मैं ने इन्हें दूसरों का ह़क़ नहीं दिया और मेरी औलाद की दो में से कोई एक ह़ालत होगी :

(1)...... वोह **अल्लाह** तआ़ला की इत़ाअ़त करेंगे । इस सूरत में **अल्लाह** तआ़ला उन्हें काफ़ी होगा क्यूं कि वोह नेकों का वाली है ।

www.dawateislami.net

(2)...... वोह **अल्लाह** तआ़ला की ना फ़रमानी करेंगे। इस सूरत में मुझे इस बात की परवाह नहीं कि उन के साथ क्या मुआ़-मला होगा (क्यूं कि वोह अपने आ'माल के खु़द जवाब देह हैं)।

अपने माल से मु-तअ़ल्लिक़ एक शर-ई हुक्म

मज़्कूरा बाला हि़कायात को सामने रखते हुए हर शख़्स अपने ह़ाल पर ग़ौर कर सकता है कि उसे माले विरासत से मु-तअ़ल्लिक़ किस क़दर एह़तियात़ करने की ज़रूरत है, यहां इस हि़कायत की मुना-सबत से एक शर-ई हुक्म याद रखें कि अपना तमाम माल राहे खु़दा में ख़र्च कर देना और अपने वु-रसा को मोह़ताज छोड़ना दुरुस्त नहीं, लिहाज़ा अगर अपने माल को नेक कामों में ख़र्च करने की वसिय्यत करनी भी हो तो एक तिहाई से कम और ज़ियादा से ज़ियादा एक तिहाई तक वसिय्यत करने की इजाज़त है और बक़िय्या दो तिहाई माल वु-रसा के लिये छोड़ा जाए। ह़ज़रते सा'द बिन अबी वक़्क़ास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है, हु़ज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया :

"اِنَّکَ اِنْ تَرَکْتَ وَلَدَکَ اَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِّنْ اَنْ تَتْرُکَھُمْ عَالَۃً یَّتَکَفَّفُوْنَ النَّاسَ"
तेरा अपने वु-रसा को ग़नी छोड़ना इस से बेहतर है कि तू उन्हें मोह़ताज छोड़े कि वोह लोगों के सामने हाथ फैलाएं।(1)

तक़्सीमे मीरास के 7 फ़वाइदो ब-रकात

दीने इस्लाम ने मुसल्मानों को जो भी अह़कामात और उसूल

(1)......بخاری، کتاب الفرائض، باب میراث البنات، ۳۱۶/۴، الحدیث: ۶۷۳۳.

www.dawateislami.net

व क़वानीन दिये सभी दुन्या व आख़िरत की बे शुमार भलाइयों, ब-र-कतों, रह़मतों और फ़वाइद के ह़ामिल हैं, यहां इस्लामी उसूल व क़वानीन के मुत़ाबिक़ मीरास तक़्सीम करने के 7 उख़्रवी और दुन्यवी फ़वाइदो ब-रकात मुला-ह़ज़ा हों :

(1)...... शर-ई अह़काम के मुत़ाबिक़ मीरास तक़्सीम करने से **अल्लाह** तआ़ला की रिज़ा ह़ासिल होती है।

(2)...... मीरास के शर-ई अह़काम पर अ़मल करने वाला जन्नत का ह़क़दार होता और जहन्नम के रुस्वा कुन अ़ज़ाब से बच जाता है और येह बहुत बड़ी उख़्रवी काम्याबी है।

(3)...... तक़्सीमे मीरास के इस्लामी अह़काम पर अ़मल करने से अगर दूसरों को तरग़ीब मिले तो जो इस तरग़ीब का सबब बने उसे दूसरों के अ़मल का भी अज्र मिलता है।

(4)...... शर-ई क़वानीन के मुत़ाबिक़ मीरास में मिलने वाला माल ह़लाल होता है और ह़लाल माल से की जाने वाली माली इ़बादतें क़बूल होती हैं और उन का क़बूल हो जाना बहुत बड़ा उख़्रवी सरमाया है।

(5)...... शर-ई उसूलों के मुत़ाबिक़ मीरास तक़्सीम करने से दौलत की मुन्सिफ़ाना तक़्सीम होती है वरना उ़मूमन लड़ाई झगड़े ही होते हैं।

(6)...... कमज़ोर अ़ज़ीज़ो अक़ारिब, औ़रतों और बच्चों को विरासत से उन का ह़िस्सा देना उन की ख़ैर ख़्वाही करने की भी एक सूरत है और मुसल्मान की ख़ैर ख़्वाही दीन का एक बुन्यादी मक़्सद है,

www.dawateislami.net

नीज़ इस से उन की दुआएं, हमदर्दी और महब्बत भी मिलती हैं।

(7)...... शरीअ़त के मुत़ाबिक़ मीरास तक़्सीम करने वाला ज़ालिमों और ग़ासिबों की सफ़ में शामिल होने, वारिसों की दुश्मनी, बुग़्ज़ो ह़सद और लोगों के त़ा'नो तश्नीअ़ से बच जाता है।

मीरास तक़्सीम न करने के 7 नुक़्सानात

जिस त़रह़ इस्लामी अह़काम के मुत़ाबिक़ मीरास का माल तक़्सीम करने के कसीर उख़्रवी और दुन्यवी फ़वाइदो ब-रकात हैं, इसी त़रह़ शरीअ़त के मुत़ाबिक़ मीरास तक़्सीम न करने के दुन्या व आख़िरत दोनों में बहुत से नुक़्सानात भी हैं, यहां उन में से 7 नुक़्सानात मुला-ह़ज़ा हों :

(1)...... शरीअ़त के मुत़ाबिक़ मीरास तक़्सीम न करना **अल्लाह** तआ़ला और उस के रसूल صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ना फ़रमानी और उस की ह़दों को तोड़ना है और ऐसे शख़्स के लिये कुरआने मजीद में जहन्नम के अ़ज़ाब की वईद बयान की गई है।

(2)...... वारिस के माल पर क़ब्ज़ा जमाने वाले से क़ियामत के इन्तिहाई ख़ौफ़नाक दिन में एक एक पाई का ह़िसाब लिया जाएगा और हर ह़क़दार को उस का ह़क़ ज़रूर दिलाया जाएगा।

(3)...... इस्लामी उसूलों के मुत़ाबिक़ मीरास तक़्सीम न करना और वारिसों को उन के ह़क़ से मह़रूम करना इस्लामी त़रीक़े से हटना और कुफ़्फ़ार के त़रीक़े पर चलना है जो हरगिज़ मुसल्मान के शायाने शान नहीं।

(4)...... मीरास के ह़क़दारों का माल खाने वाला, ज़ालिम और कई

www.dawateislami.net

सूरतों में ग़ासिब है और ऐसा शख़्स ज़ुल्म व ग़स्ब की बिना पर जहन्नम का मुस्तह़िक़ है।

(5)...... दूसरे की मीरास पर क़ब्ज़े का माल "माले ह़राम" है, और ह़राम माल से किया गया स-दक़ा मरदूद है और ऐसे शख़्स की दुआ़ भी क़बूल नहीं होती।

(6)...... दूसरों की मीरास का माल खाने से कमज़ोर लोगों की बद-दुआ़एं मिलती हैं और मज़्लूम की बद-दुआ़ बारगाहे इलाही में मक़्बूल है।

(7)...... मीरास का माल न देने से दुश्मनियां पैदा होती हैं और ऐसा शख़्स लोगों की नज़र में ज़िल्लतो रुस्वाई का शिकार होता है।

माले विरासत के तअ़ल्लुक़ से होने वाले 5 बड़े गुनाह

माले विरासत के ह़वाले से लोगों में पाए जाने वाले बड़े बड़े गुनाह येह हैं। ऐ काश कि हमारा ज़ेह्न ऐसा हो जाए कि इन गुनाहों को जानते और इन की वईदें पढ़ते साथ ही हमारा तौबा व इज्तिनाब का ज़ेह्न बनता जाए और हम भी उन लोगों के गुरौह में शामिल हो जाएं जिन के बारे में **अल्लाह** तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया :

اَلَّذِیْنَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓىٕكَ الَّذِیْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓىٕكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ (1)

तर-ज-मए कन्ज़ुल इरफ़ान : जो कान लगा कर बात सुनते हैं फिर उस की बेहतर बात की पैरवी करते हैं। येह हैं जिन्हें **अल्लाह** ने हिदायत दी और येही अ़क़्ल मन्द हैं।

(1)......زمر:۱۸.

www.dawateislami.net

पहला गुनाह : वसिय्यत के ज़रीए वारिसों को मह़रूम करना

मरने वाले के लिये मुस्तह़ब येह है कि वोह अपने माल से मु-तअ़ल्लिक़ वसिय्यत कर जाए और इस्लामी हुक्म के मुत़ाबिक़ अपने माल के एक तिहाई ह़िस्से तक वसिय्यत की इजाज़त है, मगर अफ़्सोस कि हमारे मुआ़-शरे में मीरास से मह़रूम करने की येह सूरत भी आ़म है कि दुन्यवी रन्जिशों और नाराज़ियों की बिना पर बहुत से लोग येह वसिय्यत कर के मरते हैं कि मेरे माल में से फुलां को एक पाई तक न दी जाए, ह़ालां कि शर-ई त़ौर पर वोह उस के माल का ह़क़दार होता है, ऐसे अफ़्राद के लिये दर्जे ज़ैल दो अह़ादीस में बड़ी इ़ब्रत है :

पहली वई़द : वसिय्यत के ज़रीए वारिस को नुक़्सान पहुंचाने वाला नारे जहन्नम का मुस्तह़िक़ है

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है, रसूले करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "मर्द व औ़रत साठ साल (या'नी बहुत लम्बे अ़र्से) तक **अल्लाह** तआ़ला की इत़ाअ़त व फ़रमां बरदारी करते रहें, फिर उन की मौत का वक़्त क़रीब आ जाए और वोह वसिय्यत में (किसी वारिस को) नुक़्सान पहुंचाएं, तो उन के लिये जहन्नम की आग वाजिब हो जाती है।"(1)

---

(1)......ترمذی، کتاب الوصایا عن رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیه وسلم، باب ما جاء فی الضرار فی الوصیّة، ٤/٤١، الحدیث: ٢١٢٤.

www.dawateislami.net

दूसरी वईद : अपनी वसिय्यत में ख़ियानत करना बुरे ख़ातिमे का सबब है

हज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है, हुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "कोई आदमी सत्तर बरस तक जन्नतियों जैसे अ़मल करता रहता है फिर अपनी वसिय्यत में ख़ियानत कर बैठता है तो उस का ख़ातिमा बुरे अ़मल पर होता है और वोह जहन्नम में दाख़िल हो जाता है और कोई शख़्स सत्तर बरस तक जहन्नमियों जैसे अ़मल करता रहता है फिर अपनी वसिय्यत में इन्साफ़ से काम लेता है तो उस का ख़ातिमा अच्छे अ़मल पर होता है और वोह जन्नत में दाख़िल हो जाता है।"(1)

दूसरा गुनाह : मुस्तह़िक़ वारिस को उस का ह़िस्सा न देना

दूसरा बड़ा गुनाह येह है कि कई सूरतों में जहालत की वज्ह से और कई जगह ग़फ़्लत की वज्ह से और कई जगह ज़ुल्म की वज्ह से मुस्तह़िक़ वारिस को उस का ह़िस्सा नहीं दिया जाता जैसे बहुत सी सूरतों में बहनों या भाइयों या नानी, दादी, दादा का विरासत में ह़िस्सा बन रहा होता है लेकिन ला इ़ल्मी की वज्ह से नहीं दिया जाता और यूंही मां का ह़िस्सा बनता है लेकिन ग़फ़्लत की वज्ह से नहीं दिया जाता जब कि ज़ुल्मन न देना तो वाज़ेह़ ही है। इन सूरतों के ह़वाले से हमें ग़ौर करना चाहिये कि हम मुसल्मान हैं और हमारे लिये **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ और उस के रसूल صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमान सब से मुक़द्दम है। आइये देखते हैं कि हमारा दीन हमें क्या हुक्म दे रहा है :

---

(1)......ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الحيف فی الوصيّة، ۳/۳۰۵، الحديث: ۲۷۰۴.

www.dawateislami.net

मीरास से महरूम करने की वईदें

वारिस को उस का हि़स्सा देना **अल्लाह** तआ़ला के अह़काम की इत़ाअ़त है जब कि उसे मह़रूम कर देना काफ़िरों का त़र्ज़े अ़मल, अह़कामे इलाही की सरीह़ ख़िलाफ़ वरज़ी और जहन्नम में ले जाने वाला अ़मल है, चुनान्चे **अल्लाह** तआ़ला इर्शाद फ़रमाता है :

وَ تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿۱۹﴾ وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (1)

तर-ज-मए कन्ज़ुल इरफ़ान : और मीरास का सारा माल जम्अ़ कर के खा जाते हो। और माल से बहुत ज़ियादा मह़ब्बत रखते हो।

और मीरास के अह़काम की तफ़्सीलात बयान करने के बा'द **अल्लाह** तआ़ला इर्शाद फ़रमाता है :

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ یُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ یُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۱۳﴾ وَ مَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ یَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیْهَا ۪ وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِیْنٌ (2)

तर-ज-मए कन्ज़ुल इरफ़ान : येह **अल्लाह** की ह़दें हैं और जो **अल्लाह** और **अल्लाह** के रसूल की इत़ाअ़त करे तो **अल्लाह** उसे जन्नतों में दाख़िल फ़रमाएगा जिन के नीचे नहरें बह रही हैं। हमेशा उन में रहेंगे, और येही बड़ी काम्याबी है। और जो **अल्लाह** और उस के रसूल की ना फ़रमानी करे और उस की (तमाम) ह़दों से गुज़र जाए तो **अल्लाह** उसे आग में दाख़िल करेगा जिस में (वोह) हमेशा रहेगा और उस के लिये रुस्वा कुन अ़ज़ाब है।

(1)......فجر:۱۹-۲۰. (2)......النساء:۱۳-۱۴.

www.dawateislami.net

और ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है, हु़ज़ूरे अकरम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : **"مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهٖ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"** या'नी जो शख़्स अपने वारिस की मीरास काटेगा **अल्लाह** तआ़ला क़ियामत के दिन जन्नत से उस की मीरास को काट देगा।[1]

तीसरा गुनाह : दूसरों की विरासत दबाना माले ह़राम ह़ासिल करना है

किसी दूसरे वारिस का माल, क़ब्ज़ा जमाने वाले के लिये माले ह़राम है। ह़राम माल ह़ासिल करना और खाना कबीरा गुनाह और **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की बारगाह में सख़्त ना पसन्दीदा है।

ह़राम माल ह़ासिल करने और उसे खाने की 4 वई़दें

अह़ादीस में माले ह़राम से मु-तअ़ल्लिक़ बड़ी सख़्त वई़दें बयान की गई हैं, यहां उन में से 4 अह़ादीस मुला-ह़ज़ा हों :

पहली वई़द : माले ह़राम से स-दक़ा मक़्बूल नहीं और उसे छोड़ कर मरना जहन्नम में जाने का सबब है

ह़ज़रते **अ़ब्दुल्लाह** बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है, नबिय्ये अकरम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जो बन्दा माले ह़राम ह़ासिल करता है, अगर उस को स-दक़ा करे तो मक़्बूल नहीं और ख़र्च करे तो उस के लिये उस में ब-र-कत नहीं और अपने बा'द छोड़ कर मरे तो जहन्नम में जाने का सामान है। **अल्लाह** तआ़ला बुराई

1 ......مشکاۃ المصابیح، کتاب الفرائض والوصایا، باب الوصایا، الفصل الثالث، ۱/۵۶۷، الحدیث: ۳۰۷۸.

www.dawateislami.net

से बुराई को नहीं मिटाता, हां नेकी से बुराई को मिटा देता है। बेशक ख़बीस को ख़बीस नहीं मिटाता।''[1]

दूसरी वईद : ह़राम ग़िज़ा से पलने वाले जिस्म पर जन्नत ह़राम है

ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है, सरवरे काएनात صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : **अल्लाह** तआ़ला ने उस जिस्म पर जन्नत ह़राम फ़रमा दी है जो ह़राम ग़िज़ा से पला बढ़ा हो।[2]

तीसरी वईद : लुक़्मए ह़राम खाने वाले के 40 दिन के अ़मल मक़्बूल नहीं

ताजदारे रिसालत صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते सा'द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से इर्शाद फ़रमाया : ''ऐ सा'द ! अपनी ग़िज़ा पाक कर लो ! मुस्तजाबुद्दा'वात हो जाओगे, उस ज़ाते पाक की क़सम जिस के क़ब्ज़ए क़ुदरत में मुह़म्मद (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) की जान है ! बन्दा ह़राम का लुक़्मा अपने पेट में डालता है तो उस के **40** दिन के अ़मल क़बूल नहीं होते और जिस बन्दे का गोश्त ह़राम से पला बढ़ा हो उस के लिये आग ज़ियादा बेहतर है।''[3]

चौथी वईद : ह़राम खाने पीने वाले की दुआ़ क़बूल नहीं होती

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ फ़रमाते हैं : सरकारे दो

---

1 ......مسند امام احمد، مسند عبد اللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ تعالی عنہ، ۲/۳۳، الحدیث:۳۶۷۲.

2 ......کنز العمال، کتاب البیوع، قسم الاقوال، الباب الاول، الفصل الاول، ۲/۸، الجزء الرابع، الحدیث: ۹۲۵۵.

3 ......معجم الاوسط، باب المیم، من اسمہ: محمد، ۵/۳۴، الحدیث: ۶۴۹۵.

www.dawateislami.net

आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने एक शख़्स का ज़िक्र किया जो लम्बा सफ़र करता है, उस के बाल परागन्दा और बदन ग़ुबार आलूद है और वोह अपने हाथ आस्मान की त़रफ़ उठा कर या रब ! या रब ! पुकार रहा है ह़ालां कि उस का खाना ह़राम, पीना ह़राम, लिबास ह़राम और ग़िज़ा ह़राम हो फिर उस की दुआ़ कैसे क़बूल होगी ![1]

अल्लाह तआ़ला मुसल्मानों को ह़राम माल ह़ासिल करने से बचने और ह़लाल माल ह़ासिल करने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाए, आमीन ।

चौथा गुनाह : वारिस का माल ग़स्ब करना

किसी की विरासत का ह़िस्सा दबा लेना, नाह़क़ माल खाने में दाख़िल है और इस से **अल्लाह** तआ़ला ने मन्अ़ फ़रमाया है, चुनान्चे इर्शाद फ़रमाया :

يٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [2]

तर-ज-मए कन्ज़ुल इरफ़ान : ऐ ईमान वालो ! बात़िल त़रीक़े से आपस में एक दूसरे के माल न खाओ ।

और जब कोई वारिस माले विरासत से अपने ह़िस्से पर क़ब्ज़ा कर ले फिर दूसरा वारिस उस के ह़िस्से को छीन ले तो येह किसी मुसल्मान का माल नाह़क़ ग़स्ब करना है ।

मुसल्मान का माल नाह़क़ ग़स्ब करने की 3 वई़दें

अह़ादीस में मुसल्मान का माल नाह़क़ ग़स्ब करने पर बड़ी

---

1 ......مسلم، کتاب الزکاۃ، باب قبول الصدقۃ من الکسب الطیّب... الخ، ص٥٠٦،الحدیث: ٦٥(١٠١٥).
2 ......النساء: ٢٩.

www.dawateislami.net

सख़्त वईदें बयान की गई हैं, यहां उन में से तीन अह़ादीस मुला-ह़ज़ा हों :

पहली वईद : ग़ासिब को बरोज़े क़ियामत सात ज़मीनों का त़ौक़ पहनाया जाएगा

ह़ज़रते सईद बिन ज़ैद رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है, नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जिस ने बालिश्त के बराबर ज़मीन नाह़क़ ली तो क़ियामत के दिन उसे सात ज़मीनों का त़ौक़ पहनाया जाएगा ।"(1)

दूसरी वईद : ग़ासिब के फ़राइज़ व नवाफ़िल मक़्बूल नहीं

ह़ज़रते सा'द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है, रसूले करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जो ज़मीन के किसी टुकड़े पर ना जाइज़ त़रीक़े से क़ाबिज़ हुवा तो उसे सात ज़मीनों का त़ौक़ डाला जाएगा और उस का न कोई फ़र्ज़ क़बूल होगा न नफ़्ल ।"(2)

तीसरी वईद : ग़ासिब क़ियामत के दिन कोढ़ी हो कर बारगाहे इलाही में ह़ाज़िर होगा

ह़ज़रते अश्अ़स बिन क़ैस किन्दी से रिवायत है, ह़ुज़ूरे अन्वर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जो शख़्स दूसरे के माल पर क़ब्ज़ा करेगा वोह क़ियामत के दिन **अल्लाह** तआ़ला से कोढ़ी हो कर मिलेगा ।"(3)

---

(1)......بخاری، کتاب بدء الخلق،باب ماجاء فی سبع ارضین، ۳۷۷/۲، الحدیث:۳۱۹۸.

(2)......مسندابی یعلی،مسند سعدبن ابی وقاص رضی اللّٰہ عنہ، ۳۱۵/۱، الحدیث: ۷۴۰.

(3)......معجم کبیر، باب فیما اعدّ اللّٰہ من عقابہ وغضبہ یوم القیامۃ... الخ، ۲۳۳/۱، الحدیث: ۶۳۷.

www.dawateislami.net

अल्लाह तआ़ला इस बुरे फ़े'ल से भी हमारी ह़िफ़ाज़त फ़रमाए, आमीन ।

पांचवां गुनाह : यतीम वारिसों को उन के ह़िस्से से मह़रूम कर देना

विरासत के मस्अले में संगीन तरीन सूरते ह़ाल यतीम वारिसों को उन के ह़िस्से से मह़रूम करना और उन्हें ह़िस्सा न देना है ।

यतीमों का माल नाह़क़ खाने की 4 वईदें

ऐसे लोगों के लिये दर्जे ज़ैल आयत और **3** अह़ादीस में बड़ी इब्रत है, चुनान्चे

पहली वईद : बत़ौरे ज़ुल्म यतीमों का माल खाने वाले भड़क्ती आग में जाएंगे

अल्लाह तआ़ला इर्शाद फ़रमाता है :

اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًاؕ وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا (1)

तर-ज-मए कन्ज़ुल इरफ़ान : बेशक वोह लोग जो ज़ुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं वोह अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं और अ़न्क़रीब येह लोग भड़क्ती हुई आग में जाएंगे ।

दूसरी वईद : माले यतीम नाह़क़ खाने वालों के मुंह से आग निकल रही होगी

ह़ज़रते अबू बरज़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है, ह़ुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "क़ियामत के दिन एक क़ौम

(1)......النساء: ١٠.

www.dawateislami.net

अपनी क़ब्रों से इस त़रह़ उठाई जाएगी कि उन के मूंहों से आग निकल रही होगी।" अ़र्ज़ की गई : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! वोह कौन लोग होंगे ? इर्शाद फ़रमाया : "क्या तुम ने **अल्लाह** तआ़ला के इस फ़रमान को नहीं देखा,

اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا

तर-ज-मए कन्ज़ुल इरफ़ान : बेशक वोह लोग जो ज़ुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं वोह अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं।"[1]

तीसरी वई़द : यतीमों का माल ज़ुल्मन खाने वालों का दर्दनाक अ़ज़ाब

ह़ज़रते अबू सई़द ख़ुदरी رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه से रिवायत है, रसूले अकरम صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "मैं ने मे'राज की रात ऐसी क़ौम देखी जिन के होंट ऊंटों के होंटों की त़रह़ थे और उन पर ऐसे लोग मुक़र्रर थे जो उन के होंटों को पकड़ते फिर उन के मूंहों में आग के पथ्थर डालते जो उन के पीछे से निकल जाते। मैं ने पूछा : ऐ जिब्रईल ! (عَلَیْهِ السَّلَام) येह कौन लोग हैं ?" अ़र्ज़ की : "येह वोह लोग हैं जो यतीमों का माल ज़ुल्म से खाते थे।"[2]

चौथी वई़द : यतीम का माल नाह़क़ खाने वाला जन्नत और उस की ने'मतों से मह़रूम हो जाएगा

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه से रिवायत है, नबिय्ये करीम

---

1 ......الدر المنثور، النساء، تحت الآية: ١٠، ٤٤٣/٢.

2 ......تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنه، ذكر من روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انّه رأى من ذكرت من السموات، ٤٢٧/٢، الحديث: ٧٢٥.

www.dawateislami.net

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "चार शख़्स ऐसे हैं जिन्हें जन्नत में दाख़िल न करना और उस की ने'मतें न चखाना **अल्लाह** तआला पर ह़क़ है : **(1)** शराब का आ़दी। **(2)** सूद खाने वाला। **(3)** नाह़क़ यतीम का माल खाने वाला। **(4)** वालिदैन का ना फ़रमान।"[(1)]

यतीम का माल खाने से क्या मुराद है ?

यतीम का माल नाह़क़ खाना कबीरा गुनाह और सख़्त ह़राम है। क़ुरआने पाक में निहायत शिद्दत के साथ इस के ह़राम होने का बयान किया गया है। अफ़्सोस कि लोग इस में भी परवाह नहीं करते। उ़मूमन यतीम बच्चे अपने ताया, चचा वग़ैरा के ज़ुल्मो सितम का शिकार होते हैं, उन्हें इस ह़वाले से ग़ौर करना चाहिये। यहां एक और अहम मस्अले की त़रफ़ तवज्जोह करना ज़रूरी है वोह येह कि यतीम का माल खाने का येह मत़लब नहीं कि आदमी बा क़ाइदा किसी बुरी निय्यत से खाए तो ही ह़राम है बल्कि कई सूरतें ऐसी हैं कि आदमी को शर-ई अह़काम का इ़ल्म भी नहीं होता और वोह यतीमों का माल खाने के ह़राम फ़े'ल में मुलव्वस हो जाता है जैसे जब मय्यित के वु-रसा में कोई यतीम है तो उस के माल से या उस के माल समेत मुश्तरक माल से दूसरे लोगों के लिये फ़ातिह़ा तीजा वग़ैरा का खाना ह़राम है कि उस में यतीम का ह़क़ शामिल है, लिहाज़ा येह खाने सिर्फ़ फ़ु-क़रा के लिये बनाए जाएं और सिर्फ़ बालिग़ वु-रसा के माल से उन की इजाज़त से तय्यार किये जाएं वरना जो भी जानते हुए यतीम का माल खाएगा वोह दोज़ख़ की आग खाएगा और क़ियामत में उस के मुंह से धुवां निकलेगा।

---

1 ......مستدرک حاکم، کتاب البیوع، انّ اربی الربا عرض الرجل المسلم، ۲/ ۳۳۸، الحدیث:۲۳۰۷.

www.dawateislami.net

माले विरासत से मु-तअ़ल्लिक़ पाई जाने वाली 8 उ़मूमी ग़फ़्लतें

मीरास के शर-ई अह़काम से ला इ़ल्मी की बिना पर जब कि बा'ज़ अवक़ात फ़िक्रे आख़िरत की कमी और इस्लामी अह़काम पर अ़मल का जज़्बा न होने की वज्ह से माले विरासत के बारे में हमारे मुआ़-शरे में बहुत सी ग़फ़्लतों और कोताहियों का इरतिकाब किया जाता है, यहां उन में से **8** ग़फ़्लतें मुला-ह़ज़ा हों ताकि मुसल्मान इन की त़रफ़ तवज्जोह कर के इस्लाह़ की कोशिश कर सकें।

पहली ग़फ़्लत : यतीम वारिस के माल से मय्यित की फ़ातिह़ा, नियाज़ और सिवुम वग़ैरा के अख़राजात करना

किसी शख़्स का इन्तिक़ाल होने पर उसे सवाब पहुंचाने के लिये वु-रसा सिवुम, दसवां, चालीसवां, फ़ातिह़ा और नज़्रो नियाज़ का एहतिमाम करते हैं, येह अच्छे और बाइ़से सवाब आ'माल हैं लेकिन इस में बा'ज़ अवक़ात येह ग़फ़्लत बरती जाती है कि इन उमूर पर होने वाले अख़राजात मय्यित के छोड़े हुए माल से किये जाते हैं और उस के वारिसों में यतीम और ना बालिग़ बच्चे भी होते हैं और उन के ह़िस्से से भी वोह अख़राजात लिये जाते हैं, ह़ालां कि यतीमों या दीगर ना बालिग़ वु-रसा के ह़िस्से से येह खाने पका कर लोगों को खिलाना ना जाइज़ व ह़राम है बल्कि अगर यतीम या कोई ना बालिग़ वारिस इजाज़त भी दे दे तब भी उन का माल इन कामों में इस्ति'माल करना जाइज़ नहीं लिहाज़ा निहायत ज़रूरी है कि इस त़रह़ के खाने सिर्फ़ बालिग़ वु-रसा की रिज़ा मन्दी से उन के ह़िस्से से किये जाएं, नीज़ येह भी याद रखें कि जनाज़े के बा'द का खाना

www.dawateislami.net

और सिवुम का खाना हमारे हां के उ़र्फ़ व रवाज में दा'वते मय्यित के त़ौर पर होता है और येह खाना सिर्फ़ फ़क़ीरों के लिये जाइज़ है, मालदारों के लिये नहीं, लिहाज़ा अगर बालिग़ वु-रसा भी इन खानों का एहतिमाम करें तो सिर्फ़ फ़ु-क़रा को खिलाएं।

नोट : ईसाले सवाब के सुबूत से मु-तअ़ल्लिक़ मा'लूमात ह़ासिल करने के लिये शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी र-ज़वी دامت برکاتہم العالیہ का रिसाला "**फ़ातिह़ा और ईसाले सवाब का त़रीक़ा**" का मुत़ा-लआ़ फ़रमाएं।

दूसरी ग़फ़्लत : यतीम और ना बालिग़ वु-रसा के ह़िस्सों से बे जा अख़राजात करना

यतीम बच्चों को विरासत में जो ह़िस्सा मिलता है या उस के इ़लावा उन की अपनी किसी जाइज़ कमाई या तोह़फ़ा वग़ैरा के ज़रीए़ जो माल उन्हें मिलता है उसे ख़र्च करने के ह़वाले से आ़म घरों में बहुत सी ग़फ़्लतें और कोताहियां पाई जाती हैं, जैसे यतीम और ना बालिग़ वारिसों का ह़िस्सा जुदा नहीं करते बल्कि सभी के साथ मुश्तरक रखते हैं और उसी मुश-त-रका माल से स-दक़ा व ख़ैरात किया जा रहा होता है, रिश्तेदारों में ग़मी ख़ुशी के मवाक़ेअ़ पर लैन दैन चल रहा होता है, घर में आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाज़ी हो रही होती है, भाई बहन की शादी में और ता'लीम वग़ैरा में वोही माल सर्फ़ हो रहा होता है। उस मुश-त-रका माल में येह सब तसर्रुफ़ात ना जाइज़ व ह़राम हैं क्यूं कि इस में यतीम का माल भी शामिल है जिसे इन मुआ़-मलात में ख़र्च करना जाइज़ नहीं, लिहाज़ा

www.dawateislami.net

आ़फ़िय्यत इसी में है कि यतीम और ना बालिग़ वारिस का ह़िस्सा जुदा कर दिया जाए, इस के बा'द दीगर बालिग़ वु–रसा बाहमी रिज़ा मन्दी से इन मुआ़–मलात में माले विरासत ख़र्च करें। यतीम का माल घर के अफ़राद के लिये मुश–त–रका पकाए गए खाने और इस से मिलती जुलती चीज़ों में मिला लेना जाइज़ है लेकिन स–दक़ा व ख़ैरात, मेहमान नवाज़ी और रिश्तेदारियों के लैन दैन में देना हरगिज़ जाइज़ नहीं।

तीसरी ग़फ़्लत : बेटियों और बहनों को मीरास से ह़िस्सा न देना

हमारे मुआ़–शरे में बेटियों और बहनों को मीरास से उन का ह़िस्सा न देना भी आ़म होता जा रहा है ह़ालां कि बाप के माल में बेटियों का ह़क़ क़ुरआने मजीद की नस्से क़त़ई से साबित है जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। याद रहे कि लड़कियों को ह़िस्सा न देना ह़रामे क़त़ई है, लिहाज़ा अगर वालिदैन ने वसिय्यत वग़ैरा के ज़रीए़ बेटियों को उन के ह़िस्से से महरूम कर दिया या बेटों ने बहनों को उन का ह़िस्सा देने की बजाए सारा माल आपस में तक़्सीम कर लिया, या उन का ह़िस्सा किसी ग़ैरे वारिस को दे दिया तो येह ज़रूर ज़ुल्म है और ऐसे लोगों पर तौबा के साथ साथ बेटियों और बहनों को उन का ह़िस्सा लौटा देना लाज़िम है और उन का येह उ़ज़्र पेश करना ग़लत़ है कि लड़की की शादी धूमधाम से कर दी थी, इस लिये वोह मीरास की ह़क़दार नहीं है।

चौथी ग़फ़्लत : बेटियों और बहनों से विरासत का ह़िस्सा मुआ़फ़ करवा लेना

विरासत एक ऐसा माली ह़क़ है जो लाज़िमी त़ौर पर वारिस

www.dawateislami.net

की मिल्किय्यत में आ जाता है, वोह इसे बहर सूरत लेना ही है, न इसे मुआ़फ़ कर सकता है और न ही उस से मुआ़फ़ करवाया जा सकता है। हमारे हां बा'ज़ अवक़ात विरासत की ह़क़दार औ़रतें जैसे बेटियां और बहनें अपना ह़िस्सा लेने की बजाए मुआ़फ़ कर देती हैं और बा'ज़ अवक़ात दीगर रिश्तेदार उन्हें अपना ह़िस्सा मुआ़फ़ कर देने का कहते और इस पर ज़ोर देते हैं। येह दोनों सूरतें ग़लत़ हैं, मुआ़फ़ करने या करवाने से उन का ह़िस्सा ख़त्म नहीं होगा, मर्दों पर लाज़िम है कि वोह ह़क़दार औ़रतों को उन का ह़िस्सा दें और औ़रतों पर लाज़िम है कि वोह अपने ह़िस्से को अपने क़ब्ज़े में लें, अलबत्ता अगर अपने ह़िस्सए विरासत पर क़ब्ज़ा करने के बा'द किसी जब्रो इक्राह और ज़ोर ज़बर दस्ती के बिग़ैर मह़ज़ अपनी ख़ुशी से किसी दूसरे वारिस को अपना ह़िस्सा देना चाहें तो इस का इख़्तियार उन्हें ह़ासिल है।

पांचवीं ग़फ़्लत : बेवा दूसरी शादी कर ले तो उसे पहले शोहर की मीरास से ह़िस्सा न देना

जो औ़रत शोहर के इन्तिक़ाल के वक़्त उस के निकाह़ या उस की इ़द्दत में हो वोह अपने शोहर की वारिस है, फिर अगर्चे वोह इ़द्दत पूरी होने के बा'द दूसरी शादी कर ले जब भी उस का ह़क़्क़े विरासत बाक़ी रहता है, ख़त्म नहीं हो जाता। हमारे हां दूसरी शादी कर लेने की वज्ह से बेवा को उस का ह़िस्सा नहीं दिया जाता, येह हुक्मे इलाही की सरीह़ ख़िलाफ़ वरज़ी और ना जाइज़ व ह़राम है और इस से बचना हर मुसल्मान पर लाज़िम है।

www.dawateislami.net

छटी ग़फ़्लत : ज़िन्दगी में वालिदैन से जाएदाद तक़्सीम करने का जब्री मुत़ा-लबा करना

ज़िन्दगी में हर शख़्स अपने माल और उस में तसर्रुफ़ करने का मालिक है, वोह जिस को जितना चाहे दे सकता है क्यूं कि येह देना बत़ौरे मीरास नहीं, विरासत तो मरने के बा'द तक़्सीम होती है, अलबत्ता अगर कोई शख़्स अपनी ज़िन्दगी में औलाद के दरमियान अपनी तक़्सीम करना चाहता है तो सब बेटे, बेटियों को बराबर बराबर देना अफ़्ज़ल है और अगर औलाद में कोई इ़ल्मे दीन सीखने और दीनी ख़िदमत में मश्ग़ूल है तो उसे दूसरों से ज़ियादा दे सकते हैं। हमारे हां औलाद अपने वालिदैन को इस बात पर मुख़्तलिफ़ त़रीक़ों से मजबूर करती है कि वोह अपनी ज़िन्दगी में जाएदाद तक़्सीम कर दें, उन का येह जब्री मुत़ा-लबा ना जाइज़ है क्यूं कि येह वालिदैन की दिल आज़ारी का सबब है जो कि ना जाइज़ व गुनाह है।

सातवीं ग़फ़्लत : वालिदैन को औलाद की विरासत से ह़िस्सा न देना

औलाद के इन्तिक़ाल के वक़्त अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों ज़िन्दा हैं तो वोह भी अपनी औलाद के वारिस हैं और उस के तर्के से ह़िस्सा पाएंगे। हमारे हां बा'ज़ जगह येह समझा जाता है कि औलाद तो वालिदैन के माल में ह़िस्सादार होती है लेकिन वालिदैन औलाद के माल में ह़िस्सादार नहीं होते, येह बात वाज़ेह़ त़ौर पर ग़लत़ और क़ुरआनो ह़दीस के ख़िलाफ़ है। एक दूसरी ग़फ़्लत इसी सूरत में येह है कि मां या बाप को वारिस तो समझा जाता है लेकिन विरासत उन्हें दी नहीं जाती। वालिदैन अगर फ़ौरी

www.dawateislami.net

मुता़-लबा न करें तो अगर्चे उन्हें फ़ौरन देना ज़रूरी नहीं लेकिन उ़मूमन इस त़रह़ के मक़ामात पर न देने का नतीजा बिल आख़िर कुल्ली तौ़र पर मह़रूम कर देने की सूरत में ही निकलता है या'नी वालिदैन को बिल्कुल ही विरासत नहीं दी जाती।

आठवीं ग़फ़्लत : बाप की दूसरी बीवी को ह़िस्सा न देना

जब बाप की विरासत तक़्सीम की जाए तो उस में उस की हर बीवी का ह़िस्सा होता है अगर्चे वोह औलाद के लिये ह़क़ीक़ी मां की जगह सोतेली मां हो क्यूं कि सोतेली मां होना तो औलाद के ए'तिबार से है, जब कि शोहर के ए'तिबार से तो वोह उस की बीवी ही है और बीवी का विरासत में ह़िस्सा होता है। हमारे हां मीरास तक़्सीम करते वक़्त बा'ज़ अवक़ात बाप की दूसरी बीवियों या'नी सोतेली माओं को ह़क़्क़े विरासत से मह़रूम कर दिया जाता है ह़ालां कि वोह भी बीवी की है़सिय्यत से दूसरी बीवी या'नी बच्चों की ह़क़ीक़ी मां की त़रह़ विरासत की ह़क़दार है।

मज़्कूरा बाला कलाम को सामने रखते हुए तमाम मुसल्मानों को चाहिये कि माले तर्का को क़ुरआनो ह़दीस के बयान कर्दा ह़िस्सों के मुता़बिक़ उन के मुस्तह़िक़ीन में तक़्सीम कर दें और तर्के की तक़्सीम में हरगिज़ हरगिज़ ताख़ीर न करें बल्कि जिस क़दर जल्दी हो सके हर शख़्स को उस का ह़िस्सा दे दें ताकि वोह अपनी मरज़ी के मुता़बिक़ उसे इस्ति'माल कर सके, नीज़ मीरास की तक़्सीम में ताख़ीर की वज्ह से वक़्त गुज़रने के साथ साथ पेचीदगियां बढ़ती जाती हैं, नस्ल दर नस्ल तर्का तक़्सीम न करने से आ़म तौ़र पर येही होता है कि तर्का कई कई पुश्तों तक ऐसे अफ़राद के तसर्रुफ़ व

www.dawateislami.net

इस्ति'माल में रहता है जिन का उस पर कोई ह़क़ नहीं होता मगर इस के बा वुजूद वोह उस से नफ़्अ़ उठा रहे होते हैं जब कि उस माल के ह़क़ीक़ी मालिक बेचारे न सिर्फ़ बहुत परेशान ह़ाल होते हैं बल्कि अपनी ज़रूरिय्यात को पूरा करने के लिये लोगों के सामने क़र्ज़ वग़ैरा के लिये दस्ते सुवाल दराज़ किये हुए होते हैं और शायद इसी आस में रहते हैं कि कब मीरास तक़्सीम हो और हमें अपना ह़िस्सा मिले। मगर अफ़्सोस ! तक़्सीम के बा'द भी उन की उम्मीद धरी की धरी रह जाती है क्यूं कि अगर कभी तक़्सीम की नौबत आती भी है तो इस दौरानिये में मज़ीद कई वु-रसा के इन्तिक़ाल के बाइ़स माले तर्का सह़ीह़ त़ौर पर तक़्सीम नहीं हो पाता जिस के नतीजे में बहुत से ह़क़दार अपने ह़क़ से मह़रूम रह जाते हैं और उन का माल ग़ैर मुस्तह़िक़ अफ़राद के हाथों में चला जाता है। लिहाज़ा आ़फ़िय्यत इसी में है कि इस्लाम के दिये हुए अह़कामात के मुत़ाबिक़ जल्द अज़ जल्द मीरास का माल तक़्सीम कर दिया जाए। **अल्लाह** तआ़ला से दुआ़ है कि हमें इस पर अ़मल की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाए। आमीन।

मीरास से मु-तअ़ल्लिक़ शर-ई अह़कामात

सुवाल किसी मुसल्मान के इन्तिक़ाल के बा'द उस के छोड़े हुए मालो अस्बाब से मु-तअ़ल्लिक़ शरीअ़त के अह़काम क्या हैं ?

जवाब जब किसी मुसल्मान का इन्तिक़ाल हो जाए तो उस के मालो अस्बाब से मु-तअ़ल्लिक़ शरीअ़त ने चार अह़काम दिये हैं :

(1)...... सब से पहले मय्यित के माल से सुन्नत के मुत़ाबिक़ उस की तज्हीज़ व तक्फ़ीन और तदफ़ीन की जाए।

(2)...... फिर जो माल बच जाए उस से मय्यित का क़र्ज़ा अदा किया

www.dawateislami.net

जाए, बीवी का मह्र अदा न किया हो तो वोह भी क़र्ज़ शुमार होगा।

(3)...... फिर अगर मय्यित ने कोई जाइज़ वसिय्यत की हो तो उसे क़र्ज़ अदा करने के बा'द बच जाने वाले माल के तीसरे हिस्से से पूरा किया जाएगा, हां अगर सब वु-रसा बालिग़ हों और सब के सब तीसरे हिस्से से ज़ाइद माल से वसिय्यत पूरी करने की इजाज़त दें तो ज़ाइद माल से वसिय्यत पूरी करना जाइज़ है वरना जितने वु-रसा इजाज़त दें उन के हिस्से की ब क़दरे वसिय्यत पर अ़मल हो सकता है।

(4)...... वसिय्यत पूरी करने के बा'द जो माल बच जाए उसे शर-ई हिस्सों के मुताबिक़ वु-रसा में तक़्सीम किया जाए।[1]

सुवाल- मय्यित के छोड़े हुए माल के वारिस कौन कौन हैं और हर वारिस का कितना हिस्सा है ?

जवाब- मय्यित के छोड़े हुए मालो अस्बाब के वु-रसा क़ुरआनो ह़दीस में बयान कर दिये गए हैं लेकिन इन में मुख़्तलिफ़ अफ़राद के हिस्से मुख़्तलिफ़ हैं और यूंही मुख़्तलिफ़ अफ़राद दूसरों पर मुक़द्दम होते हैं जैसे बहन और बेटी के हिस्से मुख़्तलिफ़ हैं और बेटा पोते पर मुक़द्दम है कि बेटे के होते हुए पोता विरासत का मुस्तह़िक़ नहीं। लिहाज़ा जब विरासत का मस्अला पेश आए तो इ़ल्मे मीरास के माहिर सुन्नी आ़लिम से बा क़ाइ़दा पूछ कर अ़मल किया जाए।

सुवाल- अगर शोहर ने बीवी का ह़क़्क़े मह्र अदा नहीं किया और शोहर का इन्तिक़ाल हो गया तो अब बीवी का ह़क़्क़े मह्र कहां से अदा किया जाएगा ? और अगर बीवी का इन्तिक़ाल हो गया तो शोहर येह ह़क़्क़े मह्र किसे अदा करेगा ?

जवाब- अगर शोहर ने अपनी ज़िन्दगी में बीवी का ह़क़्क़े मह्र

1 : बहारे शरीअ़त, हिस्सए बिस्तुम, विरासत का बयान, जि. 3, स. 1111, 1112 मुलख़्ख़सन

www.dawateislami.net

अदा न किया और न ही औ़रत ने अपनी खुशी से महर मुआ़फ़ किया तो इस सूरत में शोहर के तर्के से बीवी का ह़क़्क़े महर अदा किया जाएगा और चूंकि ह़क़्क़े महर क़र्ज़ है लिहाज़ा कफ़न दफ़्न के अख़राजात के बा'द जब कि वसिय्यत पूरी करने और वु-रसा में तक़्सीम से पहले ही बीवी का ह़क़्क़े महर अदा किया जाएगा और इस मुआ़-मले में हमारे मुआ़-शरे में जो येह त़रीक़ा राइज है कि मय्यित पर हाथ रख कर औ़रत से ज़बर दस्ती महर मुआ़फ़ करवाया जाता है येह बिल्कुल ग़लत़ है, इस की न तो कोई शर-ई हैसिय्यत और न ही इस त़रह़ मुआ़फ़ कराने से ह़क़्क़े महर मुआ़फ़ होता है। रही येह बात कि अगर ह़क़्क़े महर अदा करने से पहले बीवी का इन्तिक़ाल हो जाए तो इस सूरत में ह़क़्क़े महर की रक़म बीवी के तमाम वु-रसा के दरमियान उन के ह़िस्सों के मुत़ाबिक़ तक़्सीम होगी जिस में शोहर खुद भी ह़िस्सादार होगा।

सुवाल - वसिय्यत करने का शर-ई हुक्म क्या है ? और कितने माल की वसिय्यत करनी चाहिये ?

जवाब - वसिय्यत करने का शर-ई हुक्म येह है कि अगर मरने वाले के ज़िम्मे किसी क़िस्म के "**हुक़ूक़ुल्लाह**" बाक़ी न हों तो वसिय्यत करना मुस्तह़ब है, और अगर उस पर **हुक़ूक़ुल्लाह** की अदाएगी बाक़ी हो जैसे उस के ज़िम्मे कुछ नमाज़ों का अदा करना बाक़ी हो, या ह़ज फ़र्ज़ होने के बा वुजूद अदा न किया हो, या कुछ रोज़े छोड़े थे वोह न रखे हों, तो ऐसी सूरत में वाजिब है कि इन चीज़ों का फ़िदया देने के लिये वसिय्यत करे। मय्यित पर माली **हुक़ूक़ुल इबाद** जैसे लोगों का क़र्ज़ा हो तो उसे वसिय्यत में इस लिये ज़िक्र नहीं किया कि विरासत की तक़्सीम में वसिय्यत से पहले क़र्ज़ों की

www.dawateislami.net

अदाएगी का जुदागाना हुक्म मौजूद है या'नी माल छोड़ कर मरने वाला क़र्ज़ों की अदाएगी की वसिय्यत करे या न करे बहर सूरत क़र्ज़ अदा किया ही जाएगा।

मुस्तहब येह है कि इन्सान अपने तिहाई माल से कम में वसिय्यत करे ख़्वाह वु-रसा मालदार हों या फु-क़रा, अलबत्ता जिस के पास माल थोड़ा हो उस के लिये अफ़्ज़ल येह है कि वोह वसिय्यत न करे जब कि उस के वारिस मौजूद हों और जिस शख़्स के पास कसीर माल हो वोह भी तिहाई माल से ज़ियादा वसिय्यत न करे।

सुवाल क्या किसी वारिस के लिये वसिय्यत करना जाइज़ है जैसे कोई शख़्स अपने बेटे के लिये ही वसिय्यत करे ?

जवाब वु-रसा के लिये वसिय्यत करना जाइज़ नहीं, चुनान्चे नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : वारिस के लिये कोई वसिय्यत नहीं मगर येह कि वु-रसा चाहें।[1]

अलबत्ता अगर किसी ने अपने वारिस के लिये वसिय्यत की और दीगर वु-रसा सब बालिग़ हों और वोह इजाज़त भी दे दें तो वारिस के लिये वसिय्यत जाइज़ व नाफ़िज़ हो जाएगी और अगर वु-रसा में बालिग़ व ना बालिग़ सब शामिल हैं और बा'ज़ वु-रसा इजाज़त दे दें तो उन इजाज़त देने वालों में से जो बालिग़ हैं सिर्फ़ उन्ही के हिस्सों में येह वसिय्यत जाइज़ व नाफ़िज़ हो जाएगी जब कि यतीम वारिस और ना बालिग़ वारिस और इजाज़त न देने वाले बालिग़ वु-रसा के हिस्सों में येह वसिय्यत जाइज़ व नाफ़िज़ नहीं होगी।[2]

सुवाल क्या सास सुसर के तर्के में दामाद या बहू का हिस्सा होता है ?

---

1 ......دار قطنی، کتاب الفرائض والسیر وغیر ذلک، ۴/۱۱۳، الحدیث: ۴۱۰۸.

2 ...... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 25, स. 332, मुलख़्ख़सन

www.dawateislami.net

जवाब सास सुसर की जाएदाद में दामाद या बहू अपने इस रिश्ते की वज्ह से किसी त़रह़ वारिस नहीं हां अगर किसी और रिश्ते के त़ौर पर वारिस बनें तो मुम्किन है म-सलन दामाद भतीजा हो और दीगर मुक़द्दम वु-रसा न हों तो अब येही वारिस होगा।

चुनान्चे फ़तावा र-ज़विय्या में है : दामाद या ख़ुसर होना अस्लन कोई ह़क़्क़े विरासत साबित नहीं कर सकता ख़्वाह दीगर वु-रसा मौजूद हों या न हों हां अगर और रिश्ता है तो उस के ज़रीए़ से विरासत मुम्किन है म-सलन दामाद भतीजा है ख़ुसर चचा है तो इस वज्ह से बाहम विरासत मुम्किन है एक शख़्स मरे और दो वारिस छोड़े एक दुख़्तर और एक भतीजा कि वोह उस का दामाद है तो दामाद ब वज्हे बरादर ज़ादगी निस्फ़ माल पाएगा और अगर अज्नबी है तो कुल माल दुख़्तर को मिलेगा दामाद का कुछ नहीं। وَاللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلَم (1)

सुवाल ले पालक बच्चा अपने परवरिश करने वाले का वारिस होता है या नहीं ?

जवाब इस्लामी ए'तिबार से ले पालक बच्चा अपने ह़क़ीक़ी वालिदैन का वारिस होगा जब कि परवरिश करने वाले का वारिस नहीं होगा। इमामे अहले सुन्नत رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ फ़रमाते हैं : मु-तबन्ना (या'नी किसी का मुंह बोला बेटा) होना शरअ़न तर्के में कोई इस्तिह़क़ाक़ पैदा नहीं करता और अगर येह मुराद है कि इस सूरत में ज़ैद अपनी ह़क़ीक़ी वालिदा या वालिद के तर्के से ह़िस्सा पाएगा या नहीं, तो जवाब येह है कि बेशक पाएगा (क्यूं कि) किसी का इसे अपना बेटा

1 ...... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 26, स. 331

www.dawateislami.net

बना लेना अपने ह़क़ीक़ी वालिदैन के बेटे होने से ख़ारिज नहीं करता।[1]

सुवाल क्या मुंह बोला बेटा, बहन, भाई वग़ैरहा भी वारिस होते हैं ?

जवाब इमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه इसी त़रह़ के एक सुवाल का जवाब देते हुए इर्शाद फ़रमाते हैं : मुंह बोला बेटा न ऐसे शख़्स का बेटा होता है और न ही अपने बाप से बे तअ़ल्लुक़ होता है क्यूं कि ह़क़ीक़तों में तग़य्युर नहीं होता। शर-ई त़ौर पर वोह अपने बाप का वारिस है न कि उस दूसरे शख़्स का जिस ने इस को मुंह बोला बेटा बनाया है। अगर दूसरा शख़्स चाहे तो मुंह बोले बेटे के ह़क़ में वसिय्यत कर दे ताकि उस का माल उस के मुंह बोले बेटे के हाथ में आ जाए और येह विरासत न होगी, ख़बरदार ! वारिस के लिये वसिय्यत नहीं होती, और किसी का मुंह बोला बेटा बन जाना उस के लिये बाप की मीरास से मानेअ़ नहीं होता।[2]

सुवाल वालिदैन की ज़िन्दगी में जो बेटा या बेटी फ़ौत हो जाए, उस का ह़िस्सा होगा या नहीं ?

जवाब शर-ई ए'तिबार से किसी शख़्स के इन्तिक़ाल के वक़्त उस के ज़िन्दा वु-रसा ही तर्के के वारिस क़रार पाते हैं लिहाज़ा जो बेटा या बेटी अपने वालिदैन की ज़िन्दगी में ही इस दुन्याए फ़ानी से रुख़्सत हो जाए तो उस का वालिदैन के माल में कोई ह़िस्सा न होगा अलबत्ता अगर अपने वालिदैन के इन्तिक़ाल के बा'द और तर्का तक़्सीम होने से पहले किसी वारिस का इन्तिक़ाल हो जाए तो इस सूरत में वोह वारिस होगा और उस का ह़िस्सा उस के वु-रसा के माबैन तक़्सीम होगा।

1...... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 26, स. 84, मुलख़्ख़सन

2...... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 26, स. 179, मुल्तक़ित़न

www.dawateislami.net

सुवाल – क्या सोतेले बहन भाइयों का भी विरासत में ह़िस्सा होता है ?

जवाब – इस में तफ़्सील येह है कि अगर वोह एक त़रफ़ से सोतेले हैं जैसे बाप की त़रफ़ से बहन भाई हैं जो दूसरी औ़रत से पैदा हुए जिन्हें "अ़ल्लाती" कहा जाता है या सिर्फ़ मां की त़रफ़ से बहन भाई हैं जो किसी दूसरे शोहर के ज़रीए़ पैदा हुए जिन्हें "अख़्याफ़ी" कहा जाता है तो येह अपनी शराइत़ के साथ वु–रसा होते हैं जब कि दोनों त़रफ़ से सोतेले हों कि न बाप की त़रफ़ से हों और न मां की त़रफ़ से तो वोह बहन भाई के रिश्ते के ए'तिबार से वु–रसा नहीं हैं।

सुवाल – क्या दादा की जाएदाद में पोते का ह़िस्सा होता है ?

जवाब – अगर किसी शख़्स का इन्तिक़ाल हुवा और उस की औलाद ज़िन्दा नहीं, पोता ज़िन्दा है तो येही अपने दादा की जाएदाद का वारिस होगा अलबत्ता अगर मय्यित का बेटा और पोता दोनों ज़िन्दा हों तो अब पोता अपने दादा की जाएदाद का वारिस न होगा। ऐसी सूरत में वारिस को चाहिये कि अपने ह़िस्से से कुछ माल उसे दे दे। **अल्लाह** तआ़ला इर्शाद फ़रमाता है :

وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ الْیَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِیْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا (1)

तर–ज–मए कन्ज़ुल इरफ़ान : और जब तक़्सीम करते वक़्त रिश्तेदार और यतीम और मिस्कीन आ जाएं तो उस माल में से उन्हें भी कुछ दे दो और उन से अच्छी बात कहो।

इस हुक्म पर अ़मल करने में मुसल्मानों में बहुत सुस्ती पाई जाती है बल्कि इस हुक्म का इ़ल्म ही नहीं होता अलबत्ता येह याद रहे कि ना बालिग़ और ग़ैर मौजूद वारिस के ह़िस्से में से देने की इजाज़त नहीं।

(1) النساء: ٨.

www.dawateislami.net

सुवाल बहुत सारे लोग अपनी ना फ़रमान औलाद को अपनी जाएदाद से आ़क़ करने की वसिय्यत करते हैं इस की शर-ई ह़ैसिय्यत क्या है ?

जवाब जो शख़्स किसी शर-ई उ़ज़्र के बिग़ैर अपने मां बाप का जाइज़ हुक्म न माने या مَعَاذَالله उन्हें ईज़ा पहुंचाए वोह दर ह़क़ीक़त आ़क़ और शदीद वई़दों का मुस्तह़िक़ है अगर्चे वालिदैन उसे आ़क़ न करें बल्कि अपनी फ़र्ते़ मह़ब्बत से दिल में नाराज़ भी न हों जब कि जो शख़्स वालिदैन की फ़रमां बरदारी में मसरूफ़ रहे लेकिन वालिदैन शर-ई वज्ह के बिग़ैर नाराज़ रहें या वोह किसी ख़िलाफ़े शर-अ़ बात में अपने वालिदैन का कहा न माने और इस वज्ह से वालिदैन नाखुश हों तो वोह शख़्स हरगिज़ आ़क़ नहीं । हुक्मे शर-ई येह है कि कोई शख़्स आ़क़ होने की वज्ह से मां बाप के तर्के से मह़रूम नहीं हो सकता अगर्चे वालिद लाख बार अपने फ़रमां बरदार, ख़्वाह ना फ़रमान बेटे को कहे कि मैं ने तुझे आ़क़ किया या अपने तर्के से मह़रूम कर दिया, न उस का येह कहना कोई नया असर पैदा कर सकता है न वोह इस बिना पर कोई तर्के से मह़रूम हो सकता है। अलबत्ता अगर औलाद फ़ासिक़ो फ़ाजिर है और गुमान येह है कि इन्तिक़ाल के बा'द वोह इस के माल को बदकारी व शराब नोशी वग़ैरा बुराइयों में ख़र्च कर डालेगी तो इस सूरत में ज़िन्दगी में फ़रमां बरदार औलाद को सारा माल दे कर उस पर क़ब्ज़ा दिला देना या उस जगह को किसी नेक काम के लिये वक़्फ़ कर देना जाइज़ है कि येह ह़क़ीक़त में मीरास से मह़रूम करना नहीं बल्कि अपने माल और अपनी कमाई को ह़राम में ख़र्च होने से बचाना है।

www.dawateislami.net

सुवाल - बीवी की मौत के बा'द जहेज़ का ह़क़दार कौन होगा ?

जवाब - उ़र्फ़े आ़म के मुत़ाबिक़ जहेज़ की मालिक औ़रत होती है लिहाज़ा उस के इन्तिक़ाल के बा'द जहेज़ का सामान उस के वु-रसा में शर-ई ह़िस्सों के मुत़ाबिक़ तक़्सीम होगा जिस में शोहर भी शामिल होगा ।

सुवाल - ज़िन्दगी में अगर किसी वारिस या ग़ैर वारिस के नाम अपनी कोई जाएदाद करा दी लेकिन उस पर क़ब्ज़ा न दिलाया और इन्तिक़ाल हो गया तो अब उस जाएदाद का मालिक कौन ?

जवाब - जाएदाद किसी के नाम करना तोह़फ़ा है और शरीअ़त में तोह़फ़े के लिये उस पर क़ब्ज़ा ज़रूरी है, लिहाज़ा बिग़ैर क़ब्ज़ा किये तोह़फ़ा देने का अ़मल शर-ई ए'तिबार से मुकम्मल नहीं होता लिहाज़ा अगर किसी शख़्स ने अपनी ज़िन्दगी में अपना कोई माल या जाएदाद ज़बानी या तह़रीरी त़ौर पर किसी के नाम कर दी, लेकिन तोह़फ़ा लेने वाले ने उस पर क़ब्ज़ा नहीं किया तो तोह़फ़ा मुकम्मल न होगा बल्कि वोह चीज़ तोह़फ़ा देने वाले की मिल्किय्यत पर ही बाक़ी रहेगी और क़ब्ज़े से पहले अगर इन में से किसी एक का भी इन्तिक़ाल हो गया तो येह तोह़फ़ा बात़िल हो जाएगा और तोह़फ़ा देने वाले की मौत के बा'द उस के वु-रसा में ही तक़्सीम होगा । क़ब्ज़े से मुराद क्या है ? और किस सूरत में कैसे क़ब्ज़ा किया जाता है इन मसाइल में काफ़ी तफ़्सील है इस लिये इन मसाइल के लिये किसी मुस्तनद सुन्नी दारुल इफ़्ता में राबित़ा ज़रूर कर लें ।

सुवाल - वालिद के इन्तिक़ाल के बा'द वु-रसा में बा'ज़ अफ़राद वालिद का कारोबार संभालते हैं तो क्या सब वु-रसा उस कारोबार और उस के नफ़्अ़ में ह़िस्सादार होंगे या सिर्फ़ कारोबार करने वाले ?

www.dawateislami.net

जवाब: माले तर्का में तमाम वु-रसा बतौरे शिर्कते मिल्क शरीक हैं तमाम वु-रसा की इजाज़त से कारोबार संभालने की सूरत में हर वारिस अपने हि़स्से के मुताबिक़ कारोबार के नफ़्अ व नुक़्सान का ह़क़दार होगा और अगर बा'ज़ वु-रसा ने दीगर वु-रसा की इजाज़त के बिग़ैर कारोबार संभाला और मज़ीद आगे बढ़ाया तो अस्ल माल जो कि मय्यित के इन्तिक़ाल के वक़्त कारोबार में था उस में तो हर वारिस अपने हि़स्से की मिक़्दार का मालिक होगा लेकिन उस माल से ह़ासिल होने वाले नफ़्अ़ के बारे में हुक्मे शर-ई येह है कि उस नफ़्अ़ में दीगर वु-रसा शरीक नहीं होंगे बल्कि येह नफ़्अ़ सिर्फ़ उन्ही अफ़राद का है जिन्हों ने कारोबार बढ़ा कर नफ़्अ़ ह़ासिल किया अलबत्ता उन के लिये सिर्फ़ अपने हि़स्से के मुताबिक़ नफ़्अ़ लेना ह़लाल है और दीगर वु-रसा के हि़स्सों के मुताबिक़ ह़ासिल शुदा नफ़्अ़ उन के ह़क़ में माले ख़बीस है उन्हें चाहिये कि अपने हि़स्सों से ज़ाइद नफ़्अ़ दीगर वु-रसा को उन के हि़स्सों के मुताबिक़ दें या ख़ैरात करें अपने ख़र्च में न लाएं, येही हुक्म मतरूका जाएदाद वग़ैरा के किरायों का भी है।(1)

تَمَّـــــتْ بِالْخَيْـــــر

वसिय्यत

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : जिस की मौत वसिय्यत पर हो (जो वसिय्यत करने के बा'द इन्तिक़ाल करे) वोह अ़ज़ीम सुन्नत पर मरा और उस की मौत तक़्वा और शहादत पर हुई और इस ह़ालत में मरा कि उस की मग़्फ़िरत हो गई। (ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية، ۳/۳۰۴، الحديث:۲۷۰۱)

1..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 26, स. 131, मुलख़्ख़सन

www.dawateislami.net

फ़ेहरिस

उ़न्वान	सफ़ह़ा
दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	1
तक़्सीमे मीरास और दीने इस्लाम का ए'ज़ाज़	2
तक़्सीमे मीरास और फ़ी ज़माना मुसल्मानों का ह़ाल	3
दीने इस्लाम और अह़कामे मीरास	4
तक़्सीमे मीरास की अहम्मिय्यत	7
मीरास से मु-तअ़ल्लिक़ बुज़ुर्गाने दीन की एह़तियातें	8
माले विरासत का चराग़ बुझा दिया	8
माले विरासत की चटाई इस्ति'माल करने से मन्अ़ कर दिया	9
माले विरासत की चटाई इस्ति'माल करने वाले को तम्बीह	9
मैं ने अपनी औलाद को दूसरों का ह़क़ नहीं दिया	10
अपने माल से मु-तअ़ल्लिक़ एक शर-ई हुक्म	11
तक़्सीमे मीरास के 7 फ़वाइदो ब-रकात	11
मीरास तक़्सीम न करने के 7 नुक़्सानात	13
माले विरासत के तअ़ल्लुक़ से होने वाले 5 बड़े गुनाह	14
पहला गुनाह : वसिय्यत के ज़रीए़ वारिसों को मह़रूम करना	15
पहली वई़द : वसिय्यत के ज़रीए़ वारिस को नुक़्सान पहुंचाने वाला नारे जहन्नम का मुस्तह़िक़ है	15
दूसरी वई़द : अपनी वसिय्यत में ख़ियानत करना बुरे ख़ातिमे का सबब है	16
दूसरा गुनाह : मुस्तह़िक़ वारिस को उस का ह़िस्सा न देना	16
मीरास से मह़रूम करने की वई़दें	17
तीसरा गुनाह : दूसरों की विरासत दबाना माले ह़राम ह़ासिल करना है	18
ह़राम माल ह़ासिल करने और उसे खाने की 4 वई़दें	18
पहली वई़द : माले ह़राम से स-दक़ा मक़्बूल नहीं और उसे छोड़ कर मरना जहन्नम में जाने का सबब है	18
दूसरी वई़द : ह़राम ग़िज़ा से पलने वाले जिस्म पर जन्नत ह़राम है	19
तीसरी वई़द : लुक़्मए ह़राम खाने वाले के 40 दिन के अ़मल मक़्बूल नहीं	19
चौथी वई़द : ह़राम खाने पीने वाले की दुआ़ क़बूल नहीं होती	19
चौथा गुनाह : वारिस का माल ग़स्ब करना	20
मुसल्मान का माल नाह़क़ ग़स्ब करने की 3 वई़दें	20
पहली वई़द : ग़ासिब को बरोज़े क़ियामत सात ज़मीनों का तौक़ पहनाया जाएगा	21
दूसरी वई़द : ग़ासिब के फ़राइज़ व नवाफ़िल मक़्बूल नहीं	21
तीसरी वई़द : ग़ासिब क़ियामत के दिन कोढ़ी हो कर बारगाहे इलाही में ह़ाज़िर होगा	21
पांचवां गुनाह : यतीम वारिसों को उन के ह़िस्से से मह़रूम कर देना	22
यतीमों का माल नाह़क़ खाने की 4 वई़दें	22
पहली वई़द : बतौरे ज़ुल्म यतीमों का माल खाने वाले भड़क्ती आग में जाएंगे	22
दूसरी वई़द : माले यतीम नाह़क़ खाने वालों के मुंह से आग निकल रही होगी	22

www.dawateislami.net

उ़न्वान	सफ़्हा	उ़न्वान	सफ़्हा
तीसरी वईद : यतीमों का माल ज़ुल्मन खाने वालों का दर्दनाक अ़ज़ाब	23	चौथी ग़फ़्लत : बेटियों और बहनों से विरासत का हि़स्सा मुआ़फ़ करवा लेना	27
चौथी वईद : यतीम का माल नाह़क़ खाने वाला जन्नत और उस की ने'मतों से मह़रूम हो जाएगा	23	पांचवीं ग़फ़्लत : बेवा दूसरी शादी कर ले तो उसे पहले शोहर की मीरास से हि़स्सा न देना	28
यतीम का माल खाने से क्या मुराद है ?	24	छटी ग़फ़्लत : ज़िन्दगी में वालिदैन से जाएदाद तक़्सीम करने का जब्री मुत़ा-लबा करना	29
माले विरासत से मु-तअ़ल्लिक़ पाई जाने वाली 8 उ़मूमी ग़फ़्लतें	25	सातवीं ग़फ़्लत : वालिदैन को औलाद की विरासत से हि़स्सा न देना	29
पहली ग़फ़्लत : यतीम वारिस के माल से मय्यित की फ़ातिह़ा, नियाज़ और सिवुम वग़ैरा के अख़्राजात करना	25	आठवीं ग़फ़्लत : बाप की दूसरी बीवी को हि़स्सा न देना	30
दूसरी ग़फ़्लत : यतीम और ना बालिग़ वु-रसा के हि़स्सों से बे जा अख़्राजात करना	26	मीरास से मु-तअ़ल्लिक़ शर-ई अह़कामात	31
तीसरी ग़फ़्लत : बेटियों और बहनों को मीरास से हि़स्सा न देना	27		

सुलुस माल की वसिय्यत

ह़ज़रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक़्क़ास رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ फ़रमाते हैं कि हुज़ूर (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) मेरी बीमारी में इ़यादत के लिये तशरीफ़ लाए, आप ने फ़रमाया कि क्या तुम ने वसिय्यत कर दी ? मैं ने अ़र्ज़ किया : जी हां । आप (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ने फ़रमाया : कितने माल की वसिय्यत की ? मैं ने अ़र्ज़ किया : राहे ख़ुदा में अपने कुल माल की । आप (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ने फ़रमाया : अपनी औलाद के लिये क्या छोड़ा ? मैं ने अ़र्ज़ किया : वोह लोग अग़्निया या'नी साह़िबे माल हैं। आप (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ने फ़रमाया : दसवें हि़स्से की वसिय्यत करो । तो मैं बराबर कम करता रहा यहां तक कि आप (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ने फ़रमाया : सुलुस माल की वसिय्यत करो और सुलुस माल बहुत है ।

(مشکاۃ المصابیح، کتاب الفرائض والوصایا، باب الوصایا، الفصل الثانی، ۵٦٦/۱، الحدیث:۳۰۷۲)

www.dawateislami.net

ماخذ و مراجع

نام کتاب	مصنف/مؤلف	مطبوعہ
قرآن مجید	کلامِ الٰہی	☆☆☆☆
کنز العرفان فی ترجمۃ القرآن	حضرت علامہ مولانا مفتی ابو الصالح محمد قاسم القادری مدظلہ العالی	زیرِ طبع
الدر المنثور	امام جلال الدین عبد الرحمٰن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۰۳ھ
المسند	امام احمد بن محمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۱۴ھ
صحیح البخاری	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
صحیح مسلم	امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری، متوفی ۲۶۱ھ	دار ابن حزم، بیروت ۱۴۱۹ھ
سنن الترمذی	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۱۴ھ
سنن ابن ماجه	امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ، متوفی ۲۷۳ھ	دار المعرفۃ، بیروت ۱۴۲۰ھ
سنن دار قطنی	امام علی بن عمر دار قطنی، متوفی ۳۸۵ھ	مدینۃ الاولیاء، ملتان
المستدرک علی الصحیحین	امام ابو عبد اللہ محمد حاکم نیشاپوری، متوفی ۴۰۵ھ	دار المعرفہ، بیروت ۱۴۱۸ھ
المعجم الکبیر	امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۲ھ
المعجم الاوسط	امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۰ھ
مسند ابی یعلی	شیخ الاسلام ابو یعلی احمد بن علی بن مثنی موصلی، متوفی ۳۰۷ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۸ھ
مشکاۃ المصابیح	علامہ ولی الدین تبریزی، متوفی ۷۴۲ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۴ھ
کنز العمال	علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری، متوفی ۹۷۵ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
تهذيب الآثار	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۱۰ھ	مطبعۃ المدنی، قاہرہ
البدور السافرة	امام جلال الدین عبد الرحمٰن سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	مؤسسۃ الکتب الثقافیہ، بیروت ۱۴۲۵ھ
احیاء علوم الدین	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ	دار صادر، بیروت ۲۰۰۰ء
اتحاف السادۃ المتقین	علامہ سید محمد بن محمد حسینی زبیدی، متوفی ۱۲۰۵ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت
فتاویٰ رضویہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بن نقی علی خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	رضا فاؤنڈیشن لاہور، ۱۴۱۸ھ
بہارِ شریعت	مفتی محمد امجد علی اعظمی، متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ، ۱۴۳۵ھ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

सुन्नत की बहारें

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ तब्लीग़े कुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक **दा'वते इस्लामी** के महके महके म-दनी माह़ोल में ब कसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, हर जुमा'रात इशा की नमाज़ के बा'द आप के शहर में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात गुज़ारने की म-दनी इल्तिजा है। आ़शिक़ाने रसूल के **म-दनी क़ाफ़िलों** में ब निय्यते सवाब सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये सफ़र और रोज़ाना फ़िक्रे मदीना के ज़रीए **म-दनी इन्आ़मात** का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह के इब्तिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ इस की ब-र-कत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफ़रत करने और **ईमान की ह़िफ़ाज़त** के लिये कुढ़ने का ज़ेह्न बनेगा।

हर इस्लामी भाई अपना येह ज़ेह्न बनाए कि "**मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश करनी है।** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ" अपनी इस्लाह़ की कोशिश के लिये "**म-दनी इन्आ़मात**" पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश के लिये "**म-दनी क़ाफ़िलों**" में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

मक-त-बतुल मदीना की शाख़ें

मुम्बई : 19, 20, मुहम्मद अ़ली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया मह़ल, उर्दू बाज़ार, जामेअ़ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपूर : ग़रीब नवाज़ मस्जिद के सामने, सैफ़ी नगर रोड, मोमिन पुरा, नागपूर : (M) 09373110621

अजमेर शरीफ़ : 19/216 फ़लाहे दारैन मस्जिद, नाला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, अजमेर फ़ोन : 0145-2629385

ह़ैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, ह़ैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786

हुब्ली : A.J. मुढोल कोम्पलेक्ष, A.J. मुढोल रोड, ओल्ड हुब्ली ब्रीज के पास, हुब्ली, कर्नाटक. फ़ोन : 08363244860

मक-त-बतुल मदीना®

दा'वते इस्लामी

फ़ैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बग़ीचे के पास, मिरज़ापूर, अह़मदआबाद-1, गुजरात, इन्डिया

Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net